



प्रेषक,

लाल मणि यादव,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 2026

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2026-27 में "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत" अनुदान संख्या-83 में जनपद-फर्रुखाबाद की 03 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-690//30/76/एक/2026-27 दिनांक 27.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस०सी०एस०पी०) योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-फर्रुखाबाद के नगर पंचायत मुहम्मदाबाद की विभिन्न वार्डों में सी०सी०/इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कुल 03 परियोजनाओं, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रु. 100.77 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का **50 प्रतिशत अर्थात् रु० 50.385 लाख (रूपये पचास लाख अड़तीस हजार पाँच सौ मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु. में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनपद वार कार्यों की संख्या	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लागत का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	फर्रुखाबाद	न०प० मुहम्मदाबाद	1	अम्बेडकरनगर वार्ड में सी०सी० रोड व इण्टरलाकिंग का कार्य। (रामलडैत के घर से धर्मेन्द्र के घर तक, मो० गढ़वा में महावीर के घर से रामपाल के घर होकर मन्दिर तक, संतोष के घर से मन्दिर तक व मन्दिर से कमलकिशोर के घर तक)	21.77	10.885

फरूखाबाद	न0प0 मुहम्मदाबाद	2	किदवाई नगर वार्ड में सी०सी० रोड व इण्टरलॉकिंग का कार्य। (अनिल पाल के घर से विपिन पाल व ग्रीश पाल के घर तक, रामनिवास के घर से सोनू के घर तक, इशतफाकुद्दीन के मकान से गुड्डू के मकान तक, गिरेन्द्र के घर से राजवीर के घर होते हुए गुड्डू के घर तक, हारून के घर से रानू ठाकूर के मकान तक, रामनरेश से अशलम के मकान तक, रामश्री के मकान से चन्द्रपाल के मकान होकर नाहर सिंह कुशवाहा के मकान तक)	39.76	19.88
फरूखाबाद	न0प0 मुहम्मदाबाद	3	कबीर नगर में सी०सी० रोड व इण्टरलॉकिंग का कार्य। (मेन रोड से अतरलाल के मकान तक, अश्वनी के मकान से मेहंदीहसन के मकान तक, सीमा के मकान से रामब्रेश के मकान तक)	39.24	19.62
कुल कार्य		3	योग	100.77	50.385

(रूपये पचास लाख अड़तीस हजार पाँच सौ मात्र)

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित झूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित झूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/झूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
 8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
 10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूझा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/ सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
 12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
 15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2027 तक व्यय हो सके।
 16. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
 17. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखा शीर्षक 2217047890300 मूलभूत नगरीय सुविधाएँ एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

संख्या व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. निजी सचिव,प्रमुखसचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फर्रुखाबाद।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।